

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

200

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प राजपुरा (मौब्रास)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

200

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प राजपुरा (मौब्रास)

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजपुरा व भूअनि सखा हंडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देवराय / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा प.080 हंडी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 में खाता संख्या 57 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प.080	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	राजपुरा	खाला सखा - 57	जोदाराम पुन माभाराम	जोदाराम लाल उर्फ जोदाराम पुन माभाराम उर्फ माभाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। जी. माभाराम उर्फ समगल भांडे उर्फ जी. दर्ज करें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

राजेश कुमार मीणा
उपर (राजेश कुमार मीणा) जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 26.11.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 650
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021
पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर